

31.10.23

पर है। यह... को पेश हो।
दिनांक 6.11.23

6.11.23

पत्रावली प्रस्तुत /वकील/वकुला
पीठाधीन अधिकारी आज.....
पर है। यह: पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
दिनांक 10.1.24 को पेश हो

10.1.24

पत्रावली प्रस्तुत /वकील/वकुला
पीठाधीन अधिकारी आज.....
पर है। यह: पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
दिनांक 13.3.24 को पेश हो

13.3.24


पत्रावली प्रस्तुत /वकील/वकुला
पीठाधीन अधिकारी आज.....
पर है। यह: पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
दिनांक 25.5.24 को पेश हो

9/24

पत्रावली वकील श्री आशीष शर्मा के
द्वारा ललक शर्मा के अग्रिम शर्मा के
सीताराम की ओर से पत्रावली वकील के
द्वारा अग्रिम शर्मा 151 पर पेश कर
द्वारा शर्मा शर्मा को अग्रिम शर्मा
की ओर से अग्रिम शर्मा की अग्रिम शर्मा
पत्रावली शर्मा के अग्रिम शर्मा
के अग्रिम शर्मा की पत्रावली में
अग्रिम शर्मा के अग्रिम शर्मा के अग्रिम शर्मा
द्वारा वकील शर्मा द्वारा पेश शर्मा
पत्रावली शर्मा 212 R.T.N. के अग्रिम
शर्मा के अग्रिम शर्मा में गृह लिखक शर्मा
पत्रावली शर्मा की अग्रिम शर्मा शर्मा शर्मा
शर्मा शर्मा अग्रिम शर्मा शर्मा


अन्तरित मा प्रमाणित करीने ले अपूर्णकीन
 जाले होगी न जारी असुविधा होगी परन्तु
 अब वकील शर्मा कारा उक्त भूमि को
 अन्तरित करने पर कोई आपत्ति नहीं
 होगा यह फराल है कि अब भूमि को
 अन्तरित करने से कोई अपूर्णकीन फालि
 नहीं होगी न ही कोई कांड बाहुल्य
 बनेगी।

इस वकील शर्मा स्वयं है कि
 यह पूर्ण से जारी स्वयं को अन्तरित
 अन्तरित आदेश 39 दिनांक 4 के तहत
 एम्बाने। इस तुर पर पूर्ण से जारी
 आदेश में कोई असुविधा / अडकार
 किता भाग सम्बन्धित नहीं। पत्नी है
 है पत्रावली दिनांक 2.5.24
 का भेज दी


 सहायक कलेक्टर (भारत ट्रेक)
 दौतारामगढ़ (सीकर)

2/5
 24

पत्रावली भेज। शर्मा व वकील
 शर्मा को बार-बार जाना
 लगता है कि बार-बार जाना
 पत्रावली पर भी बाजो नहीं
 जाये। उक्त पत्रावली से सम्बन्धी।
 सम्बन्धी में बाजो किता
 जान है पत्रावली केवल सुधार
 के लिए रखा है इस से,
 बाजो पर ध्यान है।


 सहायक कलेक्टर (भारत ट्रेक)
 दौतारामगढ़ (सीकर)